भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3139
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

एमएसपी का भुगतान

3139. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में किसानों तक एमएसपी भुगतान के परिदान/पहुंचने में लगने वाला औसत समय कितना है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान समय पर एमएसपी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ में गेहूं खरीद, भुगतान और स्टॉक की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए समयबद्ध निगरानी प्रणाली स्थापित की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रणाली के संचालन, उसकी स्थिति और वर्तमान में सामने आ रही विसंगतियों (जैसे भुगतान में देरी, गुणवत्ता संबंधी मुद्दे आदि) से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ड.) छत्तीसगढ़ में मोटे अनाजों (बाजरा, रागी, ज्वार आदि) के वितरण के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(च) राज्य में मोटे अनाजों के वितरण के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान ऑनलाइन खरीद प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से किसानों के बैंक खातों में अधिमानतः खरीद के 48 घंटे के भीतर किया जाता है।

...2/-

(ख): किसानों से खाद्यान्न की खरीद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है तथा एमएसपी का ऑनलाइन भुगतान भी प्रत्यक्ष रूप से किसानों के बैंक खाते में किया जाता है।

(ग) और (घ): एमएसपी संचालन के तहत गेहूं की खरीद के लिए राज्यवार खरीद योजना और अनुमानों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। हालांकि, आरएमएस 2025-26 के लिए केंद्रीय पूल हेतु गेहूं खरीद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च): मोटे अनाजों की खरीद का विनियमन राज्यों द्वारा खरीदे गए मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आदि) और 6 छोटे बाजरे के आबंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशानिर्देशों द्वारा किया जाता है। इन दिशानिर्देशों के तहत, राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरण के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर विकेंद्रीकृत खरीद पद्धति में इन वस्तुओं की खरीद करने की अनुमति है।

*****